विधेयक 'जल्दबाजी' में पारित कराने पर विपक्ष दलों ने जताया ऐतराज

विरोध ▶ अलग-अलग पार्टियों के 17 सांसदों ने सभापति वैंकैया नायडू को लिखा पत्र

संसदीय परिपाटी को तोड़ने का लगाया आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में भारी विरोध के बाद भी आरटीआइ विधेयक पारित होने के झटके से उबरने में जुटे विपक्ष ने सरकार को फिर निशाने पर लिया है। विभिन्न दलों से जुड़े 17 सांसदों ने शुक्रवार को सरकार की 'जल्दबाजी' पर आपत्ति जताते हुए सभापति को चिट्ठी लिखी है। इसमें विधेयकों को बगैर किसी पुनर्मूल्यांकन के पारित कराने के सरकार के रवैये पर नाखुशी जताई गई है। साथ ही इसे संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया गया है।

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को सामूहिक रूप से लिखे गए पत्र में विपक्षी दलों ने इस मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही कहा है कि अब तक जो संसदीय परंपरा रही है, उसमें अहम विधेयकों को प्रवर समिति या दूसरी किसी संसदीय समिति की पड़ताल के बाद पारित किया जाता रहा है। पत्र का समर्थन करने वालों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, द्रमुक, भाकपा, माकपा, राकांपा, टीडीपी, आप, पीडीपी, जदएस आदि दलों के सदस्य शामिल हैं।

विपक्षी दलों ने सभापति को लिखे पत्र में कहा है कि विधेयकों को पारित करने से पहले पुनर्मूल्यांकन की जो परंपरा रही है, उसके तहत 14वीं लोकसभा में 60 फीसद विधेयक संसदीय समिति के पास भेजने के बाद पारित किए गए थे। 15वीं लोकसभा में 71 फीसद विधेयक और 16वीं लोकसभा में 26 फीसद विधेयकों को समिति के पास भेजा गया था। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही अब तक 14 विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन किसी को भी संसदीय समिति के पास अध्ययन के लिए नहीं भेजा गया। विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ यह मोर्चा उस समय खोला है, जब गुरुवार को राज्यसभा में उनके भारी विरोध के बाद भी सरकार सूचना का अधिकार (आरटीआइ) संशोधन विधेयक को पारित कराने में कामयाब रही। विपक्षी दलों ने इसे सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने का कदम बताया और सभापति से संरक्षण की मांग की। ज्ञात हो संसद में विपक्ष बिखरा-बिखरा दिख रहा है।

वोटिंग के दौरान दूसरे की सीटों के पास न जाएं सदस्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा में गुरुवार को आरटीआइ संशोधन विधेयक पारित होने के दौरान सदन में संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ हुए वाकये पर सभापति वेंकैया नायडू ने नाखुशी जताई है। उन्होंने यह व्यवस्था भी दी कि आगे से सदन में जब भी वोटिंग प्रक्रिया चल रही होगी, उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई भी सदस्य एक-दूसरे की सीटों पर नहीं जाएगा। जिसे कोई बात करनी हो, वह सदन के बाहर निकलकर या वोटिंग से पहले बात कर सकता है।

नायडू ने शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान सदस्यों को आगाह किया कि सदन की गरिमा बनाए रखना उनका दायित्व है। उन्हें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। उन्होंने गुरुवार को आरटीआइ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सदन में हुए शोर-शराबे पर नाखुशी जताई। नायडू ने कहा, उन्हें यह जानकारी दी गई है कि गुरुवार को जब यह सब हो रहा था, उस समय सदन की दीर्घा में

वेंकैया नायडू फाइल फोटो

बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। नायडू जब यह बोल रहे थे, उस समय कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मांग की ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी निंदा की जानी चाहिए।

इस बीच संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने सभापति से गुरुवार के घटनाक्रम की फुटेज की जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कुमारी सैलजा ने उनके सुझाव पर सहमति जताई। हालांकि, सभापति ने इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। सदन में शून्यकाल के दौरान निजी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस बढ़ोतरी का मुद्दा भी गूंजा।

नए कानून में सबसे पहले कसेगा हाफिज सईद व मसूद अजहर पर शिकंजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के आतंकवाद विरोधी कानून में प्रस्तावित संशोधनों के प्रभाव में आने के बाद हाफिज सईद और मसूद अजहर आतंकवादी घोषित किए जाने वाले पहले मोस्ट वांटेड होंगे। प्रस्तावित नए संशोधन अंतरराष्ट्रीय मानकों और संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन के अनुसार होंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक-2019' को लोकसभा ने बुधवार को पारित कर दिया है। अब इसे चर्चा के लिए राज्यसभा में भेजने की तैयारी है। अगर इसे संसद की स्वीकृति मिल जाती है तो आतंकवादी घोषित किए जाने वाले की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा और उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी।

अधिकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकेगा। वह केंद्रीय गृह सचिव के समक्ष अपील कर सकेगा, जो 45 दिनों के भीतर फैसला करेंगे। एक कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समीक्षा समिति बनेगी, जिसमें कम से कम दो सेवानिवृत्त केंद्रीय सचिव शामिल होंगे। आतंकी घोषित किए जाने के खिलाफ इन सदस्यों तक सीधे पहुंचा जा सकेगा। सरकार उनकी संपत्ति को जब्त करने जैसे कदम उठा सकेगी। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसका ब्योरा तभी आ सकेगा जब यह बिल संसद से पारित हो जाएगा। जिसे भी आतंकी घोषित करना है, उससे संबंधित आंकड़े दूसरे देशों की सरकारों से साझा किए जा सकेंगे। ज्ञात हो, हाफिज सईद 2008 के मुंबई हमले का मास्टर माइंड है और मसूद अजहर वर्ष 2001 में संसद हमला व हालिया पुलवामा हमले का मुख्य साजिशकर्ता है।

हाफिज सईद

मसूद अजहर (फाइल फोटो)

15 वर्षों में 42 संगठन घोषित किए जा चुके हैं गैरकानूनी

बीते 15 वर्षों में 42 संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया गया। इनमें सिर्फ दीनदान अंजुमन ही ऐसा है, जिसने सरकार के फैसले के खिलाफ अपील की है। हालांकि, जब सरकार एक बार फिर अपने फैसले की पुष्टि कर देगी तो यह संगठन अदालत में चुनौती नहीं दे सकेगा।

चक्रव्यूह टूटने के बाद 'मध्यमार्ग' की राह पर विपक्ष

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- **राज्यसभा में आरटीआइ पर सरकार के बाजी पलटने के बाद शेष छह बिलों पर मध्यमार्ग की रणनीति**
- **विपक्षी खेमा आगे बीजद, टीआरएस व वाइएसआर कांग्रेस के भरोसे रणनीति से करेगा परहेज**

सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पर बीजद, टीआरएस और वाइएसआर कांग्रेस के आखिर में रुख बदलने से लगे बड़े झटके के बाद विपक्षी दलों ने राज्यसभा में सरकार की घेरेबंदी के लिए आगे इन तीनों पार्टियों पर अब भरोसा नहीं करने का फैसला किया है। इसीलिए संसद के मौजूदा सत्र के दौरान रस्साकशी की संभावना वाले बाकी बचे आधा दर्जन विधेयकों पर विपक्षी दलों ने नये सिरे से रणनीति बनाने का फैसला किया है।

राज्यसभा में विपक्ष की मजबूत किलेबंदी को धराशायी करने में सरकार को मिली कामयाबी के बाद इन आधा दर्जन विधेयकों पर विपक्षी पार्टियां नई रणनीति के तहत 'मध्यमार्ग' के विकल्प पर भी गौर कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में मध्यमार्ग की इस रणनीति के तहत विपक्षी पार्टियां कुछ विधेयकों पर सरकार को गुंजाइश देने के विकल्प पर राजी हो सकती हैं। बशर्ते कुछ विधेयकों पर सरकार भी विपक्ष की बात मानने को राजी हो जाए। विपक्षी खेमे के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि आरटीआइ पर राज्यसभा में हुई जबरदस्त जोर आजमाइश के बाद सियासी हालात बदल गए हैं। ऐसे में विपक्ष की सूची में बाकी बचे सभी छह विधेयकों को प्रवर समिति को भेजने की रणनीति सिरे चढ़ाना मुश्किल है। सरकार ने भी विपक्षी पार्टियों से खींचतान वाले विधेयकों की सूची मांग ली है। साथ ही यह भी कहा है कि सभी विधेयकों को प्रवर समिति भेजने पर वह सहमत नहीं है। मगर दो-तीन विधेयकों को प्रवर या स्थाई समितियों को भेजने पर सरकार राजी हो सकती है।

विपक्षी सूत्रों ने कहा कि हर विधेयक पर सदन में आरटीआइ संशोधन बिल पारित कराने जैसा सियासी मंजर सरकार के लिए भी सुखद नहीं होगा। इसके मद्देनजर ही सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बीच का रास्ता निकालना ज्यादा मुफीद होगा। सरकार से मिले संकेतों के मद्देनजर ही विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को बाकी बचे विधेयकों पर मध्यमार्ग की रणनीति को लेकर चर्चा की। संसद के अगले दो हफ्ते इन विधेयकों पर ही चर्चा कर इन्हें पारित किया जाना है। इसीलिए विपक्षी दलों की सोमवार को होने वाली बैठक में आधा दर्जन में से ऐसे दो-तीन विधेयकों की सूची सत्तापक्ष को सौंपा जाएगी। इन्हें विपक्ष प्रवर समिति को भेजना चाहता है।

आरटीआइ संशोधन बिल पारित होने के बाद विपक्ष की सूची में तत्काल तीन तलाक बिल, वेतन संहिता विधेयक, कार्यगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल, डीएनए संशोधन बिल और गैरकानूनी गतिविधि निषेध बिल है। बीजद, टीआरएस और वाइएसआर कांग्रेस के आरटीआइ संशोधन बिल पर भरोसा दिए जाने के मद्देनजर विपक्ष इन सभी विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने की लामबंदी कर रहा था। मगर इन तीनों पार्टियों के रुख बदलने के बाद विपक्ष की लामबंदी की मुहिम कमजोर पड़ गई है और इसी वजह से विपक्षी दलों को मध्यमार्गी रणनीति के रास्ते पर गौर करना पड़ रहा है।

विमान घोटाले में दीपक तलवार गिरफ्तार, सात दिन के रिमांड पर

दीपक तलवार फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : विमान घोटाले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी, जिसके बाद अदालत में ही सीबीआइ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर जांच एजेंसी ने उसकी 14 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन सात दिन की ही मिली। दीपक को 30 जनवरी को दुबई में गिरफ्तार किया गया था। पहले उसे मनी लांड्रिंग मामले में पकड़ा गया था। विमान घोटाले में नाम आया तो अब उसमें गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइंस का पक्ष लेते हुए बिचौलिये का काम किया, जिसकी वजह से एयर इंडिया को भारी नुकसान हुआ। इस सौदे में तलवार की कंपनी को 23 अप्रैल 2008 से छह फरवरी 2009 के बीच विदेशी एयर लाइंस कंपनियों से 6.05 करोड़ डालर दिए थे।

मटका पद्धति से मोदी ने किया पौधारोपण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद परिसर में मटका थिंबक सिंचाई पद्धति से पौधारोपण कर हरित अभियान की शुरुआत की। इस पद्धति से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है और पौधे सूखकर कभी खराब नही होते। गुजरात में सीएम रहते मोदी ने इस पद्धति को बढ़ावा देने की पहल की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पौधारोपण किया। एनएनआइ

महिला सुरक्षा ताक पर, निर्भया खंड से नहीं खर्च किया धन

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद को बताया कि महिला सुरक्षा के लिए एक हजार करोड़ रुपये के निर्भया फंड से जुड़े कार्य या तो प्रगति पर हैं या फिर उनका कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि इस कार्य के लिए आवंटित धन और खर्च किए गए धन में काफी अंतर है। इस फंड का बड़ा हिस्सा करीब 2,840 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। ताकि दिल्ली समेत सात राज्यों की राजधानियां दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। यह प्रस्ताव मार्च, 2018 में मंजूर किया गया था। लेकिन अब तक इस पर केवल 733.92 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। निर्भया फंड के तहत ही इस साल फरवरी में ट्रैक करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 463.88 करोड़ रुपये मंजूर भी किए हैं। लेकिन अब तक इस काम के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में एक युवती के साथ हुई दरिंदगी के बाद केंद्र सरकार ने महिलाओं की हिफाजत के लिए कानून बनाया था। साथ ही निर्भया फंड की व्यवस्था की थी। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से उत्पीड़ित महिलाओं के हित में धनराशि को खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

मोदी सरकार-2 के 50 दिन का कामकाज असाधारण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मोदी सरकार-2 की 50 दिन की उपलब्धियों को भाजपा ने मील का पत्थर बताते हुए कहा कि पहले 50 दिनों में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने दिशा तय कर दी है। इन फैसलों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की साफ झलक मिलती है तथा इनमें सभी वर्गों और क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वैसे तो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड देने की परंपरा रही है, लेकिन मोदी सरकार ने 50 दिन के कामकाज का लेखाजोखा पेश कर अलग कार्यशैली की मिसाल पेश की है। इस थोड़े समय में ही सरकार की प्राथमिकताएं दिखने लगी हैं। गांव, गरीब, किसान से लेकर उद्यमियों व श्रम सुधारों तक सभी दिशा में जबरदस्त काम किए गए। पीएम किसान योजना का दायरा बढ़ाकर उसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया। किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई। सरकार ने पेयजल, जल संरक्षण, सिंचाई, नदियों की सफाई व जल संबंधी अन्य कार्यों को उच्च प्राथमिकता देते हुए इन सभी विभागों के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया। इन योजनाओं से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य आसान हो जाएगा। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के साथ कई जन उपयोगी फैसले किए गए हैं। देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने और 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी सुधार की दिशा में कदम उठाया है, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बल मिलेगा। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने पर जोर है। हर घर में रसोई गैस और बिजली कनेक्शन देना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। एंजल टैक्स की समाप्ति और टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। शहरी विकास के साथ ग्राम सड़क योजना को प्राथमिकता दी गई है।

नड्डा ने कहा कि इन 50 दिनों में ही सरकार ने श्रम सुधारों पर जोर देने के साथ धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा के खिलाफ कड़े कानून बनाने की दिशा में ठोक कदम उठाया है। बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने विदेश नीति के मोर्चे पर भी कई अहम पड़ाव पार कर लिए। प्रधानमंत्री के शपथग्रहण समारोह में बिम्सटेक नेताओं ने भाग लिया। शंघाई सहयोग सम्मेलन और जी-20 सम्मेलन में मोदी ने हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। मोदी ने श्रीलंका व मालदीव की यात्राएं भी कीं।

भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते जेपी नड्डा (मध्य में)। ध्रुव कुमार

स्थायित्व की जवाबदेही पर येदियुरप्पा को मिली अनुमति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **बहुमत साबित होने तक दूर-दूर ही रहेगा केंद्रीय नेतृत्व**
- **नई सरकार में बागियों को मौका देने के मुद्दे पर नड्डा ने साधी चुप्पी**

गुरुवार को देर रात तक गहन मंथन के बाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक में सरकार गठन के लिए पार्टी नेता बीएस येदियुरप्पा को सहमति दे तो दी, लेकिन वह तब तक पूरे प्रकरण से दूर रहेगा जब तक सरकार बहुमत साबित नहीं कर देती। लिहाजा सरकार गठन और उसके बाद स्थायित्व की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही येदियुरप्पा पर ही डाल दी गई है। येदियुरप्पा की इच्छा को देखते हुए ही उन्हें यह अवसर दिया गया है वरना केंद्रीय नेतृत्व अभी कुछ दिन इंतजार करना चाहता था। हालांकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को विश्वास है कि राज्य में स्थायित्व आएगा, लेकिन वह इस सवाल से बचते रहे कि नई सरकार में कांग्रेस-जदएस के बागी विधायकों को मौका मिलेगा या नहीं। नड्डा ने इसकी जवाबदेही भी प्रदेश नेतृत्व पर ही डाल दी।

76 की आयु पार कर चुके येदियुरप्पा की जल्दबाजी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शुक्रवार सुबह से वह खुद ही ट्वीट और बयानों के जरिये यह जानकारी देते रहे कि उन्हें नेतृत्व की अनुमति मिल गई है और शाम छह बजे वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

सरकार गठन की एक संवैधानिक मजबूरी यह है कि 31 जुलाई तक सदन से वित्त विधेयक पारित कराना है। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता और संसद के जरिये वित्त विधेयक पारित कराना पड़ता ताकि वहां वेतन दिया जा सके। बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार था, लेकिन येदियुरप्पा जल्द फैसला चाहते थे।

इधर, नड्डा कर्नाटक के सवालों पर ज्यादा बोलने से बचे। उन्होंने साफ किया कि कर्नाटक में सरकार गिरने में भाजपा की कोई भूमिका नहीं थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पदों पर रहने के लिए भाजपा ने 75 वर्ष आयु का एक फॉर्मूला जरूर तैयार किया है, लेकिन येदियुरप्पा पहले ही भाजपा विधायक दल के नेता थे। वर्तमान स्पीकर के बने रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला वहीं के लोगों को लेना है। मध्य प्रदेश में दो भाजपा विधायकों के कांग्रेस का साथ देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी नजर रख रही है।

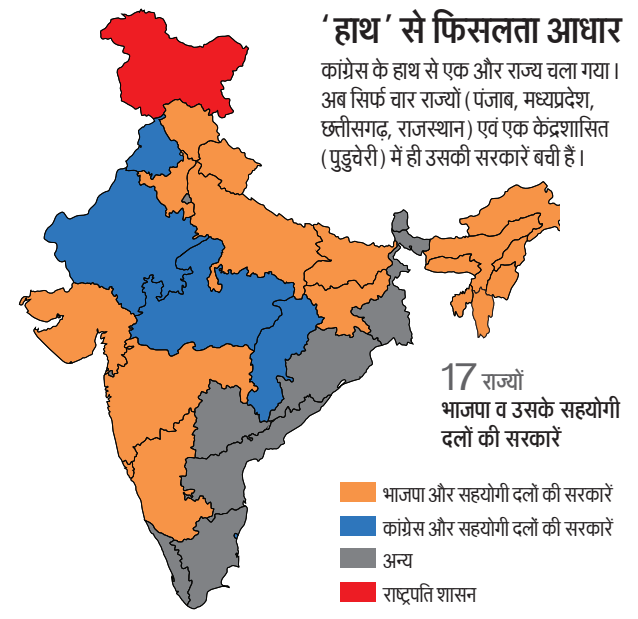

कुमारस्वामी के आदेशों पर लगाई रोक

▶ **प्रथम पृष्ठ से आगे**

मुख्यमंत्री का पद संभालते ही येदियुरप्पा ने आदेश जारी कर उनके पूर्ववर्ती कुमारस्वामी द्वारा जुलाई में जारी सभी आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

29 को विश्वास प्रस्ताव : येदियुरप्पा ने कहा, वह 29 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। उनकी सरकार बदले की राजनीति नहीं करेगी। विपक्ष को साथ लेकर चलेगी।

येद्दयुरप्पा से हुए येदियुरप्पा : राज्यपाल वजुभाई वाला को सौंपे पत्र में येदियुरप्पा ने अपने नाम की स्पेलिंग में एक 'डी' की जगह 'आइ' कर दिया (येद्दयुरप्पा से येदियुरप्पा)। बताते हैं कि ऐसा उन्होंने अंक शास्त्र से प्रभावित होकर किया है। 2007 में पहली बार सीएम बनने के बाद जब उन्हें हफ्तेभर बाद इस्तीफा देना पड़ा था तो उन्होंने नाम की स्पेलिंग में बदलाव करके उसे येद्दयुरप्पा कर लिया था।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

अनिवार्य मतदान पर संसद में दिखी अलग-अलग राय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मतदान पर निजी बिल

- **लोकसभा में अनिवार्य मतदान पर पेश निजी विधेयक पर हुई चर्चा**
- **राज्यसभा में चुनाव खर्च सीमा के खात्मे को कानूनी संशोधन का बिल**

चुनाव सुधारों से संबंधित दो निजी विधेयकों पर संसद में चर्चा हुई। लोकसभा में मतदान को अनिवार्य किए जाने से संबंधित विधेयक पर सदस्यों का अलग-अलग रुख देखने को मिला, जबकि राज्यसभा में चुनाव खर्च पर सीमाबंदी को लेकर सदस्यों ने अपने विचार रखे। लोकसभा में हुई चर्चा में मतदान को अनिवार्य किए जाने के विचार का भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी और राजेंद्र अग्रवाल तथा बीजद के बी. महताब ने विरोध किया, जबकि भाजपा के ही निहाल चंद तथा जगदंबिका पाल ने इसका समर्थन किया।

चुनाव सुधारों पर मार्च, 2015 में पेश रिपोर्ट में विधि आयोग ने अनिवार्य मतदान के विचार का ये कहते हुए विरोध किया था कि इसे लागू करना अव्यावहारिक होगा। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में 66.11 फीसद लोगों ने मतदान किया जो 2014 के चुनावों में हुए मतदान से 1.16 फीसद अधिक था। रूडी ने कहा कि मतदान को अनिवार्य किए जाने से विकास होने की दलील तर्कसंगत नहीं है। शत-प्रतिशत वोटिंग खतरनाक हो सकती है। भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है। महताब ने भी कहा कि इसे लागू करना कठिन है। परंतु निहाल चंद ने अनिवार्य मतदान का ये कहते हुए समर्थन किया कि इससे चुनाव खर्च में कमी आएगी। चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं।

राज्यसभा में चुनाव खर्च का बिल : राज्यसभा में चुनाव खर्च पर व्यक्तिगत सीमा समाप्त करने के लिए 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन संबंधी निजी विधेयक पेश करते हुए कांग्रेस सदस्य एमवी राजीव गौड़ा ने कहा कि इस कानून में आदर्शवादी उपबंध से समस्या हो रही है जो वास्तव में अनुत्पादक है। मेरा सुझाव है कि चुनाव खर्च में पाबंदी खत्म करने के साथ-साथ हमें राजनीतिक दलों की फंडिंग के स्वच्छ तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना का सुझाव दिया। इसके दो हिस्से होने चाहिए। पहला भाग राजनीतिक दलों के लिए हो और उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर इसका आवंटन किया जाना चाहिए। जबकि दूसरे हिस्से का उपयोग नई पार्टियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में गौड़ा ने सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में विभिन्न दलों की ओर से कुल 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए आगे आने का अनुरोध किया। भाजपा के विजय पी. सहस्रबुद्धे ने इसका विरोध करते हुए कहा, चुनाव खर्च पर सीमा हटाने का मतलब धन बल के सहारे चुनाव जीतने वालों के आगे समर्पण करना होगा। ये एक तरह की 'भौतिक लोकप्रियता' होगी जिसमें गरीब के लिए चुनाव लड़ना असंभव हो जाएगा। जहां राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि चुनाव महंगे और आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। वहीं भाजपा के शिवप्रताप शुक्ला का कहना था कि पहले पूरे देश में चुनाव 10 लाख में निपट जाता था। अब ये खर्च कई गुना बढ़ गया है।

एनआरआइ वोटिंग अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में तीन माह के लिए याचिका स्थगित

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार देने के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की अपील पर कोर्ट ने याचिका को तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया है। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि चुनावों के दौरान प्रवासी भारतीयों को डाक या ई-मतपत्रों के जरिए मतदान करने की अनुमति दी जाए। उल्लेखनीय है कि सर्विस वोटरों की तरह ही एनआरआइ को प्रॉक्सी मतदान का अधिकार देने का बिल पिछले साल नौ अगस्त को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो चुका है। इसे अभी राज्यसभा में पारित किया जाना शेष है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता की दलील पर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलने संबंधी बिल इसी संसदीय सत्र में पारित होने की संभावना है।

सांसदों के वाईफाई कनेक्शन से बीएसएनएल का घाटा बढ़ा

नई दिल्ली, आइएएनएस : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सांसदों को दिए जाने वाले हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शन के कारण सरकारी दूरसंचार कंपनियों- बीएसएनएल व एमटीएनएल का घाटा बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, मई 2019 तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) व भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सांसदों को 757 कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।